न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–228/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00086)

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री नत्थूराम, जाति जाट, निवासी गढ़वालों की ढाणी, ग्राम पंचायत तन भौड़की, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र ताराचन्द, जाति जाट, निवासी गढ़वालों की ढाणी, ग्राम पंचायत तन भौड़की, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. श्रीमती बूजी देवी पत्नी स्व. श्री सुखदेवाराम, जाति जाट, निवासी गढ़वालों की ढाणी, ग्राम पंचायत तन भौड़की, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 06.05.2016 (प्रकरण संख्या 3/14) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय तहसीलदार उदयपुवाटी के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 1919 एवं नामान्तरकरण संख्या 7 को चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को अपने आदेश दिनांक 10.08.2011 के माध्यम से खारिज फरमा दिया था, उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील संख्या 283/2013 उनवानी विजेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार व अन्य प्रस्तुत की थी जिसमें न्यायालय श्रीमान् ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2014 के माध्यम से प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ रिमाण्ड करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया था कि अधीनस्थ न्यायालय गोदनामे की विधिक स्थिति तथा आराजीयात के कब्जे की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्तत निर्णय पारित करें। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के उक्त निर्णय एवं आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को पुनः 3/2014 नम्बर पर लेकर एवं पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर अपना आलौच्य निर्णय दिनांक 06.05.2016 के माध्यम से गोदनामे एवं विरासत के अनुसार ग्राम भौड़की के खसरा नम्बर 1645 एवं ग्राम गढ़वालो का बास के खसरा नम्बर 570, 572, 583, 584, 625, 626, 628, 632, 864, 942, 3595/619 तथा ग्राम गोदारा का बास के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खसरा नम्बर 1495 में स्थित ओमप्रकाश के हिस्से के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हिस्सा 1/2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 हिस्सा 1/2 के हक में तस्दीक हेतु पटवारी हल्का भौडकी को लिखे जाने का आदेश प्रदान किया है, जो विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आपको स्व. श्री ओमप्रकाश का दत्तक पुत्र बताया गया है एवं इस सम्बन्ध में एक पंजीबद्ध दस्तावेज गोदनामा अपने हित मे प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविकता में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी भी ओमप्रकाश के जीवनकाल में उसके साथ नही रहा है एवं जब ओमप्रकश की मृत्यु हुई तब तक रेस्पोडेट संख्या 1 अपने पिता का नाम ताराचन्द ही अंकित करता रहा है, राशनकार्ड एवं वोटरलिस्ट आदि में कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का नाम ओमप्रकाश अंकित नही किया गया है, ओमप्रकाश की मृत्यु के बाद ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको ओमप्रकाश का दत्तक पुत्र घोषित किया है, इस सम्बन्ध में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा समस्त दस्तावेजात की गहनता से जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नामान्तरकरण के आवेदन को खारिज कर दिया, इस अहम बिन्दु पर कोई गौर नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कतई विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा भी इस सम्बन्ध मे जांच की गई थी जिसमें दत्तक ग्रहण विलेख में किसी भी गांव के व्यक्ति की कोई साक्ष्य लेखबद्ध नही की गई और ना ही गोद लेने व देने की कोई कार्यवाही हुई। उन्होने कथन किया है कि पंच कार्यवाही में यह तथ्य भी सामने आया था कि ओमप्रकाश अपनी माता के पास रहता था उसे उसके भाईयों ने अपने पास नही रखा, पंच कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के स्वार्थी व्यक्ति थे एवं उन्होने उक्त गोदनामा फर्जी करवाया है, ताराचन्द एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी तरीके से कार्यवाही करके ओमप्रकाश की भूमि को नाजायज तरीके से हड़पने की गरज से उक्त फर्जी एवं कूटरचित कार्यवाही की गई है, गांव के हरचन्द, सुल्तान, श्रीमती ज्ञानीदेवी, विधाधर एवं पंचगण के शपथ पत्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये थे जिनको नजरअन्दाज करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह कतई विधि सम्मत नही है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि माह नवम्बर 2005 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवाह हुआ था जिसमें भी उसने अपने पिता का नाम ताराचन्द अंकित किया है तदुपरान्त रेस्पोडेप्ट संख्या 1 का सन् 2008 में वोटर लिस्ट बना था जिसमें भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का नाम ताराचन्द ही अंकित है इन तमाम दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर विधमान रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हित में बनी फर्जी एवं कूटरचित दत्तक विलेख को सही मानकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह कतई विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

P.T.O.

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2016 को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी के स्व. खातेदार ओमप्रकाश द्वारा सं. 2052 को जनमाष्टमी के दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्राकृतिक माता–पिता की सहमति से गोद की रस्म अनुसार बिरादरी के सामने गोद लिया था, गोद लेते वक्त रेस्पोडेन्ट की उम्र 11 वर्ष थी, गोद लेने बाबत गोदनामा उप पंजीयक उदयपुवाटी के समक्ष दिनांक 24.10.2005 को रजिस्टर्ड करवाया गया था जिस पर अपीलार्थी के प्राकृतिक माता–पिता के हस्ताक्षर किये गये है एवं गवाह के रूप में मूंगाराम सामोता व सुलतनसिंह सामोता द्वारा हस्ताक्षर किये गये है एवं उक्त गोदनामा को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नही किया गया है। उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 13.06.2009 को गांव में हो गई थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक खातेदार का दत्तक पुत्र होने के कारण उसके हिस्से की आराजी को अपने नाम करवाने का कानूनन अधिकारी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. ओमप्रकाश की माताजी ने भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ओमप्रकाश द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोद लिया था, गोद लेने के बाद में वह ओमप्रकाश के पास ही रहता था, गोद लिया उस समय उसकी आयु 11 वर्ष थी, धार्मिक रीति–रिवाज के अनुसार सं. 2052 को जनमाष्टमी के दिन गोद लिया था व इसके बाद में उसकी पहचान ओमप्रकाश के पुत्र के रूप में समाज में हुयी है, गोदनामा दिनांक 24.10.2005 को उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहॉ रजिस्टर्ड करवाया था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार ओमप्रकाश एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के माता–पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोद लेने सम्बन्धी गोदनामा उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहॉ दिनांक 24.10.2005 पंजीबद्ध करवाया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो, साबित होता हो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा वर्तमान में प्रभावी व प्रचलन में है। ऐसी स्थिति में

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2016 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर